व्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : निकया गोहाएव
नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2016

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 – प्रार्थी

बनाम

श्री हीरसिंह पुत्र श्री फूलसिंह राजपूत साकिन थिरपाली छोटी, तहसील राजगढ, जिला चुरू – अप्रार्थीगण
(वारिसान–रिसालदेवी, रामकुमार सिंह, संजु कंवर उर्फ बबु, मंजू कंवर, सविता कंवर उर्फ लीला, शेरसिंह पि0 श्री हीरसिंह पुत्र श्री फूलसिंह राजपूत साकिन थिरपाली छोटी, तहसील राजगढ, जिला चुरू)

उपस्थिति :

1. राजस्थान सरकार – पैरोकारराज
2. श्री धनेश खत्री – अप्रार्थी वकील

निर्णय

दिनांक :– 29–10–2025.

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 29–10–2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 28–08–2008 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक 33 जेजेडब्ल्यू सीएडी से 34 जेजेडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 82/17 में 18–14 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्ची नियम विरूद्ध है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। कब्जा प्राप्त नहीं किया है। पट्टा जारी नहीं। वर्ष 1998 के बाद रिव्यू कर बिना प्रार्थना पत्र सक्षम की गयी जिससे आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी श्री हीरसिंह पुत्र श्री मूलसिंह राजपूत साकिन थिरपाली छोटी, तहसील राजगढ, जिला चुरू को आवंटित भूमि चक नम्बर 33 जेजेडब्ल्यू सीएडी से 34 जेजेडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 82/17 में आवंटित भूमि की गयी थी जिसके विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 ने आवंटन नियम, 1975 के नियम 22(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना

Scanned with OKEN Scanner

पत्र पेश किया गया था। उक्त आवंटित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री जोरसिंह राजपूत (विधिक वारिसान जोरसिंह पुत्र हेमसिंह राजपूत) निवासी भुंगरा, तहसील शेरगढ को आवंटित कर दी गई है। अतः अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने से उक्त 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई शेष नहीं रहती है। अतः 22(3) की कार्रवाई को समाप्त कर अप्रार्थीगणों को नियमानुसार अन्य रकबा आवंटित करने का निवेदन किया है।

पैरोकारराज सरकार ने कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि अन्य को आवंटन होने से उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को भिजवाया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पैरोकारराज व अप्रार्थी की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा समस्त तथ्यों पर भी मनन किया गया।

अप्रार्थी को आवंटित भूमि अन्य को आवंटन होने से उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा नियम 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध नियम 22(3) का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को प्रेषित किया जाता है। निर्णय की प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड संबंधित को लौटाया जावे।

निर्णय दिनांक 29–10–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner